खण्ड-379, अंक-5
शनिवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1908
(7 मार्च, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 379 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 7-3-1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 6 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	किशोरी लाल सकलानी, श्री	देहरादून
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	कृष्णा रावत, कुमारी	लखनऊ
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
अमर चन्द, श्री	आगरा	गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	गौरी शंकर, श्री	इटावा
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	गौरी शंकर भैया, श्री	बलिया
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अशरफ इमाम, श्रीमती	मिर्जापुर	चमन लाल चमन, श्री	सहारनपुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर
अहिवरन, श्री	शाहजहांपुर	जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़	जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
उदयवीर सिंह राठौर, श्री	एटा	जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
औसान सिंह, श्री	इटावा	जय नरायन शर्मा, श्री	भरेठ
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़	जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर	त्रिभुवन प्रसाद, श्री	बहराइच
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	दिनेश जौहरी, डा0	बरेली
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	दूध नाथ, श्री	जौनपुर
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
किशन सिंह तड़ागी, श्री	नैनीताल	धनराज यादव, श्री	बस्ती
		नंगा राम, श्री	खीरी
		नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली

नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	मनहरन नाथ कौल, श्री	बहराइच
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी	मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
परमाई लाल, श्री	हरदोई	महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल	महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़	मानवेन्द्र सिंह, कुंवर	झांसी
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
फजलुल बारी, श्री	गोण्डा	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
फजले मसूद, श्री	देवरिया	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा	मोती राम सांगडी, श्री	नैनीताल
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर, श्री	बदायूं
फूल सिंह सौदाई, श्री	मुजफ्फरनगर	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
बद्री सिंह, श्री	जालौन	मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	मोहम्मद उमर, डा0	गोण्डा
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़	मोहम्मद मसूद खां, श्री	आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी	रघुवर दयाल वर्मा, श्री	आगरा
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	रणजीत, श्री	देवरिया
बालेश्वर, श्री	देवरिया	रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी	रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री	फैजाबाद
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ	राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
भीखा राम, श्री	आजमगढ़	राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ		

राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ	वीरेन्द्र सांन, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर	शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई	शिरोमणि भाई, श्री	बांदा
राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू)	शाहजहांपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया	शिवानन्द नौटियाल, डॉ0	चमोली
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
राम जनम, श्री	आजमगढ़	शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी	श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद	श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
रामनाथ मुन्शी, श्री	गाजीपुर	सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
राम राज शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़	सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
राम लक्षन, श्री	गोरखपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
राम सजीवन, श्री	बांदा	सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
राम सरन दास, श्री	सहारनपुर	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
राम सागर, श्री	बाराबंकी	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री	जौनपुर	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री	बस्ती
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
		हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
		हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून
		हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
		हृदय नरायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट—श्री अरुण कुमार सिंह, सहकारिता मंत्री, श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री तथा श्रीमती दीपा, श्री निसार हुसैन अंसारी व कु0 सरस्वती अम्माल मा0 राज्य मंत्री भी अनुपस्थित रहे ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जो दल बदल विधेयक के अन्तर्गत नियमावली उत्तर प्रदेश की बनी है उसके अनुसार यदि कोई सदस्य दल के खिलाफ कार्य करता है तो वह सदस्य नहीं रह सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने एक आदेश जारी किया था कि सभी लोग कल रहेंगे। लेकिन आज यहां न नेता सदन है और न सभी माननीय सदस्य हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

सब लोग इसी परिसर में मौजूद हैं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987†

सचिव, विधान सभा–

श्री उपाध्यक्ष की अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ), तथा

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) को सदन के पटल पर रखता हूं ।

विकास खण्ड खुनियांव, इटवा बस्ती में निर्मित हरिजन आवासों में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत सात सूचनाएं श्री मनोहर लाल, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी श्री सरदार सिंह तथा श्री अभिताभ अनिल दुबे की प्राप्त हुई हैं और सभी सूचनाएं स्वीकार की गई हैं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड खुनियांव, इटवा में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत व हरिजन आवास जो क्षेत्र समिति या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बनवाए गए हैं वह सब मानक से कम हैं । जूनियर इंजीनियर एन0 के0 सिंह जो विगत एक वर्ष से इन विकास खण्डों से स्थानान्तरित हो गए हैं अभी तक कोई चार्ज उन्होंने आने वाले जूनियर इंजीनियर को नहीं दिया है । अपितु खण्ड विकास अधिकारी से मिलकर फर्जी मस्टर रोल बना कर धनराशि रख ले रहे हैं ।

इस सन्दर्भ में जिलाधिकारी व आयुक्त गोरखपुर मण्डल का ध्यान आकृष्ट किया गया परन्तु कोई कार्यवाही सम्भव न हुई मिश्रौलिया से करौंदा व खखरी से सिरसिया व पटहरी पर खड़ंजे का काम भी मानक से कम हुआ । जितने हरिजन अवास बनाये दिखाये गये हैं वास्तव में वह अभी नहीं बने हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

†छापे नहीं गए ।

अतएव शासन से मांग करता हूं कि दोनों विकास खण्डों के क्षेत्र समिति द्वारा कराये गये कार्य की टी0 ए0 सी0 से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । साथ ही में अमहवा, महौबा, गौरा धोबहा मार्ग की भी जांच करावें ।

इलाहाबाद जनपद में मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया का प्रकोप होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

महोदय, इलाहाबाद जनपद में मच्छरों के जबरदस्त फैलाव से भयंकर रूप से मलेरिया का प्रकोप हो गया है । विगत वर्षों में भीषण गन्दगी एवं मलेरिया विभाग की निष्क्रियता से मच्छरों का आतंक फैलता जा रहा है और इस समय पूरा शहर और विशेषकर गंगा-यमुना नदी के किनारे के मोहल्ले सदर बाजार नेवादा, राजापुर, बेली, उचवागढ़ी, नयापुरा, मोंहदौरी, रसूलाबाद, जोंधवा, तेलियरगंज, चिल्ला, गोविन्दपुर, भुलई का पुरा, स्वराज्य नगर, लाला की सरैयां, गल्ला बाजार, रामप्रिया रोड बड़ी बगिया सलोरी, सादियाबाद, बचाड़ा (छोटा बड़ा) बख्शी, दारागंज, पुरापड़ाइन, कटरा, कर्नलगंज, कीटगंज, अलोपीबाग, सोहबतियाबाग, सिविल लाइन्स (सागर पेशा) ममफोडगंज, राजरूपपुर, अल्लापुर आदि हजारों लोग मलेरिया से पीड़ित होकर तड़प रहे हैं । राजापुर, अल्लापुर, राजारूपपुर, बाबाजी का बाग (पन्नालाल रोड) में तो मौतें भी हो गई हैं । सूचना देने के बावजूद भी अधिकारीगण कान में तेल डालकर पड़े हैं । दवाओं का छिड़काव या गैस द्वारा मच्छर मारे जाना काफी अर्से से बन्द है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही एवं जांच की अपेक्षा करता हूं।

श्री एच0 बी0 सिंह, परगनाधिकारी, मंझनपुर, इलाहाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायत होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद इलाहाबाद तहसील मंझनपुर के भ्रष्ट परगनाधिकारी के राष्ट्र विरोधी कारनामों को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर ब्लाक कौशाम्बी में जहां एक ओर क्षेत्र समिति के तत्वाधान में प्रधान बी0 डी0 ओ0 ब्लाक प्रमुख परिवार कल्याण राष्ट्रीय कार्यक्रम में विशेष रुचि लेकर सफल बना रहे थे । वहीं पर दूसरी ओर परगना अधिकारी एच0 वी0 सिंह ने अपना कोटा पूरा न कर पाने की उम्मीद से बौखला कर लेखपालों एवं तहसील के अधिकारियों द्वारा प्रधानों को क्षेत्र समिति शिविर में जाने से रोका गया और भय दिखाया कि यदि परगनाधिकारी के शिविर में केस नहीं दोगे तो तुम्हारी प्रधानी नहीं रहेगी। इसलिए ब्लाक के शिविर में न जाकर भयवश कुछ प्रधानों ने परगनाधिकारी कैम्प पर नसबन्दी केस ले गए । परगनाधिकारी ने अपना कोटा बढ़ाने के लिए विधवाओं एवं लगभग 70 वर्ष के वृद्धों को भी फर्जी नसबन्दी करवाने में अपनी संख्या बढ़ाई । यह है कि 22-2-87 को कौशाम्बी क्षेत्र समिति की बैठक में जिसमें मैं भी शामिल था, के परगनाधिकारी का आतंक प्रधानों पर जो किया गया था, वह क्षेत्र समिति के सामने आया । क्षेत्र समिति ने सर्वसम्मति से परगना अधिकारी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, साथ ही इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए प्रस्ताव भी पारित किया ।

अत: मैं उक्त परगनाधिकारी के राष्ट्र विरोधी एवं भ्रष्ट कारनामे को सी0 आई0

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

डी0 एवं उच्च स्तरीय की अविलम्ब जांच की मांग करता हूं ।

आगरा-मथुरा-दिल्ली मार्ग पर हुई दुर्घटना में मृतकों के परिवार को अनुदान दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आगरा-मथुरा-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर दुर्घटनाओं की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी होती जा रही है । मथुरा रिफाइनरी एवं आगरा दिल्ली को जोड़ने वाला यह राजमार्ग अति व्यस्त रहता है । 22 फरवरी, 87 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव पटलौनी के श्री हरि प्रसाद अपने बेटे को ब्याह कर बारात के साथ लौट रहे थे कि प्रातः करीब 10 बजे छाता जिला मथुरा के पास इस राजमार्ग पर भयंकर दुर्घटना घटित हो गई। इस दुर्घटना में 10 व्यक्ति मर गए व शेष करीब 50 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए हैं । ये सभी लोग गरीब परिवारों के हैं ।

महोदय, आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मृतकों के परिवारजनों को 50-50 हजार रुपया व घायलों को 25-25 हजार रुपयों का अनुदान शासन की ओर से अविलम्ब दिलाने का कष्ट करें ।

आज की कार्यसूची की मद संख्या 6, 7 व 8 के स्थगन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या क्रमशः 6, 7 व 8 के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्थगन मांगा है कि आज यह मद न रखे जायं । इसे माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार भी कर लिया है । इसलिए यह आज नहीं होगा ।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना मैंने आज दी है और इसी संबंध में व्यवस्था के माध्यम से पहले भी आपके संज्ञान में ला चुका हूं और इस बार भी मान्यवर, विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण इस मामले पर सदन का बहिष्कार कर चुके हैं कि हमारे विधान सभा के अधिकारों को निरन्तर सीमित करने के प्रयास जारी हैं और यह अधिकार हमारे दिनों दिन सीमित सीमित होते भी चले जा रहे हैं । मान्यवर, जो संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त हैं इनके अन्तर्गत हमें जिन चीजों की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, हम उस चीज की जानकारी को सदन के पटल पर मंगा कर देख सकते थे, लेकिन मान्यवर, आज स्थिति कुछ और होती चली जा रही है, हमारे इन अधिकारों की बराबर उपेक्षा हो रही है । मान्यवर, इसी सदन में पिछली बार सिसवा कांड पर बहुत चर्चा हुई थी, उस समय मा0 श्रीपति मिश्रा जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने इस पर एक आयोग का गठन कर दिया था ।

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत, जिसके तहत यह प्राविधान किया गया है कि यदि कोई आयोग अपनी रपट, जिसको किसी असेम्बली के माध्यम से, पार्लियामेन्ट के माध्यम से या किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया हो, प्रेषित करता है तो मेमोरेण्डम के साथ उस पर लिये गये निर्णय को सदन के पटल पर रखना होता है । इस रिपोर्ट को 6 महीने से ज्यादा सरकार अपने पास नहीं रख सकती है । न केवल सिसवा काण्ड की रिपोर्ट, और भी तमाम रिपोर्ट जैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आडिटर जनरल की रिपोर्ट, पी0 ए0 सी0 की रिपोर्ट ये सब यहां आनी चाहिये थी लेकिन ये उसको बिना पुस्तक छपाए रखते हैं ।

आपने नियम बना रखा है कि ऐसी रिपोर्ट के सदन के पटल पर रखे जाने के 15 दिन के अन्दर उस पर चर्चा की मांग की जा सकती है । लेकिन जब तक छपी हुई पुस्तक नहीं मिलती है, उस पर हम चर्चा कैसे कर सकते हैं । फिर भी बहुत सी रपट ऐसी हैं जिन पर हमने चर्चा की मांग की है । पिछली बार मैंने एक विशेषाधिकार के मामले में जो सदन के पटल पर रखा गया था उस पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन यह शासन उसके लिये समय निर्धारित नहीं करता । मैंने सिसवा आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की बार-बार मांग की । आपको स्मरण होगा तत्कालीन संसदीय कार्य राज्य मंत्री हुकुम सिंह ने आश्वासन दिया था कि पिछला जो सत्र चल रहा था, उसका उठते उठते उसको सदन के पटल पर रख देंगे, लेकिन नहीं रखी गयी । अगर इस पीठ पर आपके रहते हुए विधान सभा के सारे अधिकार अगर सरकार सेंध लगाकर वैधानिक अधिकार अपने में निहित करती जा रही है, तो आप इस सेंध के लिये इन पर 381 का मुकदमा तो चलाएं ।

आप मेरे औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कीजिये और शासन को निर्देश दीजिये कि वे सभी रिपोर्ट जिनको मिले 6 माह से अधिक बीत चुका है उन सबको सदन के पटल पर रखे और हम उस पर चर्चा करें । इससे बहुत सी बातों का समाधान हो जायगा । हम पुलिस के बारे में कुछ कहते हैं, तो रिपोर्ट के बाद जो बात सामने आती है, हम जान सकते हैं कि कौन दोषी है । लेकिन सरकार उस रिपोर्ट को छुपा रखती है । मैं मांग करता हूं कि सिसवा की रिपोर्ट, विशेषाधिकार की रिपोर्ट, पी0 ए0 सी0 कमेटी की रिपोर्ट और कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत जो तमाम निगमों की बैलेन्स शीट बनती है, आज सारे के सारे निगम घाटे में चल रहे हैं, इनकी पूंजी घटती जा रही है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती है, बड़ी मुश्किल से कुछ निगमों के बारे में हमें खबर लग पाती है, तो उसको भी ये मानने के लिये तैयार नहीं होते हैं, तो उन निगमों की बैलेन्स शीट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिये और उस पर चर्चा होनी चाहिये । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन पर चर्चा होने से सरकार भी सतर्क होगी । मेरी मांग है कि सरकार के इस प्रकार सेंध लगाकर हमारे अधिकार छीनने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह बहुत ही बुनियादी बात है और यह विधान सभा प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है । यह विधान सभा जनतंत्र का सर्वोच्च अंग है । तो जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब किसी विषय पर जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिये । जब मंत्रि-परिषद् सदन के प्रति जवाब देह हैं तो सदन द्वारा लिये गये फैसलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट सदन में आनी चाहिये । अगर यह प्रथा चालू हो जायगी कि जब जांच रिपोर्ट आ जाय, या पैसे से सम्बधित किसी मामले की रिपोर्ट आ जाय तो उसे सदन में पेश न किया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि कार्यपालिका की गलती को सरकार छुपा रही है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और यही कारण है कि अफसरों के कारनामों की, घपलों की, अफसरों द्वारा किये गये पैसे के दुरुपयोग संबंधी मामलों की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखना चाहते हैं । यह इसलिए भी नहीं रखते कि कहीं कार्य-पालिका की सही तस्वीर जनता के सामने न आ जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये, सदन की सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिये, आप सरकार को निदेश दें । ताकि जनतांत्रिक मूल्यों का हनन न हो सके, विधायिका पर कार्य-पालिका हावी न हो सके । मान्यवर, इन सबके लिये यह बहुत जरूरी है कि सदन में सारी की सारी रिपोर्टें पेश की जायं और उन पर बहस की जाय ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको 6 महीने के अन्दर आ जाना चाहिए था । नियम 300 के अन्तर्गत यह बात नहीं आती, लेकिन इसमें मैं बहस नहीं करूंगा। जो बात माननीय माता प्रसाद पाण्डेय और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कही है, उससे मैं सहमत हूं । इस रिपोर्ट को आ जाना चाहिये था । जब इसकी बाबत मुझे नोटिस मिली, तो मैंने वस्तुस्थिति पता लगायी, बताया गया कि रिपोर्ट आ चुकी है, कुछ चीजें उसमें तैयार होनी हैं । इसी सत्र में वह इस सदन के सामने रख दी जायेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है, हमारी नियमावली का इससे उल्लंघन नहीं होता, संविधान का भी नहीं होता केवल कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत वह रिपोर्ट पेश होनी चाहिये । यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । लेकिन, इतना जरूर है कि गवर्नमेंट को शीघ्र रिपोर्ट हाउस में पेश कर देनी चाहिये।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या-9 लिये जाने पर)

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैंने आज नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी । मैं 5 मिनट विलम्ब से यहां आया । आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उसे स्वीकार कर लें, सदन में पढ़ने की अनुमति मुझे दे दें । अति महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

फिर किसी हाथी के बारे में तो सूचना नहीं है । गृह मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, कहीं उनसे संबंधित तो नहीं है ।

श्री मनोहर लाल–

माननीय दीक्षित जी गृह मंत्री हैं, हाथी नहीं हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

गृह मंत्री जी पुलिस के आदमियों को देखते हैं, किसी जू के वार्डेन नहीं हैं।

श्री मनोहर लाल–

[x x] आप काशीपुर जाय, चुनाव प्रचार करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

काशीपुर में अम्मार साहब क्या करेंगे जाकर के, वहां तो कमिश्नर और कलेक्टर सब वहां चुनाव लड़ रहे हैं, जुटे हुए हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपस में व्यंग न करें । मनोहर लाल जी, आप अपनी नियम 301 की सूचना पढ़ दें ।

शुक्लागंज गाय घाट, उन्नाव में जल भराव एवं गन्दगी की भीषण समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल–

महोदय उपरोक्त नवघोषित नगरपालिका शुक्लागंज के 1 लाख निवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है । गंदा पानी घरों में भरा है जिससे भीषण प्रदूषण एवं महामारियां फैल रही हैं । नगरपालिका के पास पैसा नहीं है जिससे कोई कार्य हो सके । 1 लाख निवासी नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किये जा रहे हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री से कम से कम 20 लाख रु0 तुरन्त शुक्लागंज नगरपालिका को अनुदान के रूप में देने की मांग करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय, मैं आपकी अनुमति से निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है ।

माननीय, पिछले सत्र में भी और आज भी शासन को यह बात कहते हुए न तो शर्म आती है और न ही यह अपने को गौरान्वित महसूस करते हैं । इनकी स्थिति विचित्र ढंग की हो गयी है । एक तरफ तो यह सदन में वायदा करते हैं कि चुनाव करायेंगे, और दूसरी तरफ नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं और म्युनिसिपल बोर्ड्स में चुनाव न कराकर, प्रशासकों को बिठाकर, जनता के धन को अफसरशाहों को लूटने-खसोटने का मौका देने का काम यह सरकार कर रही है । इसलिए माननीय, मैंने इस पर अननुमोदन का संकल्प दिया है । यह वचनभंग सरकार, जब हम इस सदन में बैठकर कभी यह बात उठाते हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से और श्रीमती पद्मा सेठ जी की तरफ से यह आश्वासन मिल जाता है कि शीघ्र चुनाव कराये जायेंगे । जब हम चुनावों के लिए समय निर्धारित करने की बात करते हैं तो कह दिया जाता है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, उसे ठीक किया जा रहा है और जब वोटर लिस्ट ठीक हो जाती है और शेष चुनाव की प्रक्रिया को सम्पादित करना रह जाता है तो यह सरकार कोई न कोई बहाना बना कर चुनाव नहीं कराती है । बड़े-बड़े नगर महापालिकाओं के चुनाव कराने से क्या फर्क पड़ेगा इस सरकार को, मैं नहीं समझ पाया। जनतांत्रिक प्रणाली में चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है । जनता द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, उसका जितना बखूबी व्यवहारिक रूप से जनता का प्रतिनिधि उपभोग कर सकता है, उतना ये प्रशासक लोग नहीं कर सकते । इन प्रशासकों को तो इससे कोई लेना-देना नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस अध्यादेश को वापस ले लें और शीघ्र चुनाव कराने की घोषणा करें ।

अलीगढ़ में चुनाव नहीं हुए हैं, बनारस में चुनाव नहीं हुए हैं, लखनऊ नगरपालिका के चुनाव नहीं हुए हैं और गोरखपुर के चुनाव नहीं हुए हैं, इन सब जगहों पर प्रशासक बैठे हुए हैं । ये प्रशासक आई० ए० एस० हैं । आज आई० ए० एस० लाबी इस प्रदेश के अन्दर इस मंत्रिमण्डल पर हाबी होती जा रही है। खुद तो मुख्य मंत्री बनाने के लिए चुनाव करा देंगे । क्यों कि यदि चुनाव नहीं करायेंगे तो मुख्य मंत्री कैसे बन पायेंगे और इस विधान सभा में कैसे आ पायेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी यदि आप इन निकायों के चुनाव करा देते हैं तो एक तरह से आप लोगों का ही काम हल्का हो जायेगा । आपके जो ये 80-80 फिट लम्बे कुर्ता धारी, जो चोरी करवाते हैं, डकैती करवाते हैं और सिफारिश करके इंजीनियर लोगों की नियुक्ति करते हैं और पोस्टिंग करते हैं, इन सब से आप बच जाते । क्योंकि यदि आप इन्हें इन निकायों में नियुक्ति कर देते तो शायद ये लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करते लेकिन आज यह सरकार अपने अर्न्तद्वन्द में घिरी हुई है । डा० संजय सिंह जी तो चाहते हैं कि चुनाव हो जाय ताकि मुख्य मंत्री जी चले जायं । माननीय मुख्य मंत्री जी इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते हैं कि यदि उनकी पार्टी हार गई तो उनका भविष्य क्या होगा । इसलिए आपकी पार्टी में सभी लोग अपनी-अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं । श्री तिवारी जी मुख्य मंत्री जी के बहुत निकट के हैं यदि वह पडरौना से हार गये तो उनका पत्ता साफ हो जायेगा । श्रीमती पद्मा सेठ जी को तो कोई लाज-धाज है नहीं । यदि आपको होती तो इसे प्रस्तुत नहीं करती। क्योंकि आपने कहा था कि हम चुनाव करायेंगे । क्यों आप चुनाव नहीं करा रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है । क्या नेता विरोधी दल जिम्मेदार हैं, क्या विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार हैं। अब तो हम टूट रहे हैं, आप ताकतवर हो गई हैं ।

आज कांग्रेस रेजिम में सभी जनतांत्रिक संस्थाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है । पहले भी कांग्रेस थी, लेकिन वे बूढ़े लोग जनतांत्रिक प्रणाली पर विश्वास रखते थे लेकिन जब से तानाशाही मनोवृत्ति के हाथों में रूलिंग पार्टी आई है तब से निरन्तर जनतांत्रिक संस्थाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है । श्रीमती पद्मा सेठ जी को तो नहीं डरना चाहिए क्योंकि वह तो रूलिंग रेस में ही पैदा हुई है। यदि वह चुनाव हार भी जाती हैं तो भी मंत्री बनी रहेंगी । बख्शी दीदी का भी यही हाल है । आपको तो चुनाव कराने का जोखिम उठाना चाहिए और आप इस अध्यादेश को वापस लें तथा घोषणा करें कि शीघ्र ही चुनाव कराये जायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ में अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा के वक्त आप बोलेंगे, इस समय नहीं बोलेंगे ।

(श्री गोपाल दास यादव, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें, मैंने माननीया मंत्री को बुला लिया है।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

इस प्रदेश में नगरपालिकायें, महापालिकायें, टाउन एरिया कमेटी और नोटीफाईड एरिया कमेटी . . .

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैंने आपको लिखकर दिया है। मेरी संवैधानिक आपत्ति है कि यह तो पेश ही नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष–

पेश तो हो गया, अब तो विचार हो रहा है। सदन की अनुज्ञा इसको पेश करने की मिल गयी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इसी पर तो कह रहा हूं। आप संविधान के अनुच्छेद 348 को देख लें । यह संवैधानिक रूप से पेश हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो पेश हो गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह पेश नहीं हो सकता। इसीलिये तो कह रहा हूं। आप सुन लीजिये, मेरी लिखित सूचना भी है।

श्री उपाध्यक्ष–

जब माननीया मंत्री भाषण समाप्त कर दें तब आप कह लीजियेगा। जो आपत्ति आप पेश कर रहे हैं, वह जब पुरः-स्थापित हुआ था और सदन में पेश हुआ था, तब कर सकते थे। नियम से ही बात सुनूंगा । इसके बाद आपको मौका दे दूंगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

संवैधानिक आपत्ति तो किसी समय भी सुनी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह पेश होने के वक्त की आपत्ति थी, इस वक्त की नहीं है। अब सदन की अनुज्ञा मिल गयी। अब यह सदन की सम्पत्ति हो गयी। आप लोग कृपया बैठें।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, नगरपालिकायें, टाउन एरिया कमेटी, महापालिकायें तथा नोटीफाईड एरिया में प्रशासक नियुक्त हैं और अन्तिम रूप से 1986 में यह अवधि एक साल के लिये बढ़ायी गयी थी क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी थी।

कई अपरिहार्य कारण थे इसके कारण से चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। प्रदेश में जगह-जगह कहीं बाढ़ आयी, कहीं सूखा पड़ा और फिर बीच में सत्र भी आ गया था, इसके अलावा पहली जनवरी से जो लोग 18 वर्ष की आयु के हो गये थे, उनकी सूची भी तैयार नहीं हो पायी थी। इसलिये एक साल के लिये यानी कि 12 दिसम्बर, 1987 तक के लिये इसकी अवधि बढ़ा दी गयी है।

इसके अलावा इस बात पर भी विचार किया गया था कि निर्वाचन लक्ष्यों का परिसीमन जिले की संख्या के आधार पर करना होगा, यह पूरा नहीं हो सका इसलिये इसकी अवधि 12 दिसम्बर, 1987 तक के लिये बढ़ा दी गयी थी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

ये रोज-रोज अवधि बढ़ाने से क्या फायदा ? इकट्ठे जब तक आप मंत्री हैं, तब तक के लिये इसकी अवधि बढ़ा दीजिये ।

(हंसी)

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, अब आदेश दे दिये गये हैं कि दिसम्बर, 1987 तक चुनाव के पहले की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाय और यथासम्भव जिससे चुनाव जल्दी हो सकें और यह चुनाव जल्दी से जल्दी करा दिये जायेंगे।

इसके अलावा इसमें जैसे कि यू0 पी0 म्यूनिसिपैल्टी एक्ट में तथा नगर महापालिका एक्ट में कुछ संशोधन किये गये हैं, जिसका उद्देश्य है संसाधन की वृद्धि करना। नगरपालिका टाउन एरिया कमेटी ऐसी स्थिति में नहीं है, इसकी दशा खराब है, इसलिये यह ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह पूरी तरह से दे सके ।

इसके अलावा सड़कों की मरम्मत आदि बातें तो अलग ही हैं, अतः इसके लिये थोड़े संसाधन जुटाना भी आवश्यक है। स्थिति को सुधारने के लिये और आमदनी में वृद्धि करने के लिये, टाउन एरिया और नगरपालिका की दशा को सुधारने के लिये यह आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कुछ टैक्सेशन की प्रक्रिया में संशोधन किये गये हैं और उनका कुछ सरलीकरण किया गया है जिससे कि उनकी आय बढ़े ।

इसके अलावा वाणिज्यिक भवनों को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया था, अब उनको कराधान हेतु परिभाषित किया गया है। नगरपालिकाओं की सीमा वृद्धि की गयी है जिसमें सीमा वृद्धि है वहां म्यूनिसिपल एक्ट में महापालिकाओं के ऊपर जो कायदे कानून लागू हैं, निश्चय किया गया है कि वे उन पर भी लागू कर दिये जायं ।

इसके अलावा इस्टीमेट एक्ट में इनकी धनराशि को बढ़ाया गया है जिससे कार्य अच्छी तरह से हो सके । कार्य के लिये जो पैसे की कमी पड़ती है, क्योंकि आजकल हर चीजों के दाम बढ़ गये हैं, श्रम के दाम बढ़ गये हैं और इसमें पूरा नहीं हो पाता था, इसलिये इसकी धनराशि को बढ़ा दिया गया है।

इसी तरह से एक्ट में सरलीकरण करने के लिये नगरपालिका, महापालिका की आय में वृद्धि हो, सिर्फ इस कारण से यह संशोधन लाया गया है। मैं समझती हूं कि इसको पारित करना आवश्यक है क्योंकि जब तक उनकी आय की वृद्धि नहीं होगी, हर नगरपालिका से हमारे पास शिकायत आती है कि हमारा काम धन की कमी के कारण पूरा नहीं हो पाता है। धन की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिये यह संशोधन लाया गया है । इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापस लें तथा इसे पारित करें ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप इन्हें बुलवा लें। मेरी तो संवैधानिक आपत्ति है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सोमवार को रख लेना । लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अगर सरकार आज ही जवाब देना चाहे तो?

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे पता नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अगर आप कहते हैं कि आपको पता नहीं है और मैंने आपको लिखकर दिया है। आप माननीय अध्यक्ष के चेम्बर में बैठे थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने उसे पढ़ा नहीं है। आप लिखकर दे दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जब मैंने आपको लिखकर दे दिया। उसकी एक कापी माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी दी थी, वह उन्हें मिल गई है । उनको कैसे मिल गयी और आपको नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष–

उस समय मैं इधर आ गया था।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

तो आप मेरी बात सोमवार को सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

हां, सोमवार को सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लगातार क्षति पहुंचाती जा रही है और यही कारण है कि आज हमारे प्रदेश में चारों तरफ अव्यवस्था का राज है। अभी माननीय मंत्री जी ने जो नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 पेश किया है और माननीय सदस्य बस्ती श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने जो संकल्प संशोधन का प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने इस अध्यादेश को जारी करने के दो मुख्य उद्देश्य बताये हैं। पहला उन्होंने यह बताया कि 18 वर्ष तक की आयु के लोगों की मतदाता सूची अभी तैयार नहीं हो पायी है और दूसरा नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज तथा टाउन एरिया के जो खर्चे हैं वे ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। इसलिये इसका समय बढ़ाने के लिये यह संशोधन पेश किया गया है। जब कि इस सम्बन्ध में भी भवन मूल्यांकन के बारे में एक याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल है। यह दुख का विषय है कि यह सरकार दोमुंही बात करती है। अभी माननीया मंत्री जी ने इसके लिये एक साल बढ़ाने की बात कही है और दूसरी तरफ माननीय उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें 14 महीने का समय मतदाता सूची तैयार करने के लिये मांगा गया है और 6 महीने में चुनाव कराने की बात कही गयी है। इस तरह से यह सरकार नगर महापालिकाओं का चुनाव नहीं कराना चाहती है। जनतांत्रिक व्यवस्थाओं की जो निचली सीढ़ियां हैं उनको तोड़कर एक अराजकता का माहौल कायम कर रही है। इन महापालिकाओं में अफसरों को नियुक्त करके आम जनता का शोषण करना चाहती है।

अभी हाल ही में माननीया नगर विकास मंत्री को ज्ञात होगा कि सरकार की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया है और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है जिसके बारे में महा न्याय-विद, उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि यह जनतांत्रिक संस्थायें अंग्रेजों की दी हुई सौगातें तथा केवल कर वसूलने वाली संस्थायें हैं । यह मूल भावना उत्तर प्रदेश सरकार की है और यही कारण है कि 12/13 वर्षों से यहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि आपने कहा कि नगर

पालिकाओं, म्यूनिसिपैलिटीज के पास उनके कर्मचारियों को वेतन देने के लिये भी पैसा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। उनके पास काफी संसाधन है। इलाहाबाद नगरपालिका ने अपनी चुंगी की आय में दस गुनी वृद्धि की है। उससे ये सारे खर्च चलाये जा सकते हैं। लेकिन यह सरकार भ्रष्टाचार के बलबूते पर टिकी हुई है। इसे जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई आस्था नहीं रह गई है। यह सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को जीवित नहीं रखना चाहती है। केवल विधान सभायें और संसद में ही इस देश का जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र की आत्मा हमारे म्युनिसिपैलटीज, नगर महापालिका और जिला परिषदों के चुनावों पर भी निर्भर करती है। आपको मालूम है कि विधान परिषद् की एक तिहाई सीटें अभी खाली हैं जिन पर सदस्यों को चुना जाना है और चुनाव न होने के कारण वह सीट खाली है। इसलिये इस विधेयक का मैं जबरदस्त विरोध करते हुए माननीय माता प्रसाद जी के संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, अभी माननीय माता प्रसाद जी द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो यहां पर नगर पालिकाओं और महापालिकाओं का कार्यकाल एक साल बढ़ाने के लिये विधेयक लाई हैं उसे वह वापस लें हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इन्हीं के पूर्वज जो भारत के पहले प्रधान मंत्री थे पं0 जवाहर लाल नेहरू वह इलाहाबाद नगर पालिका के चैयरमैन थे और वह कहा करते थे कि इस देश की बुनियाद नगरमहापालिकायें हैं जब वह स्वच्छ रहेंगी तो प्रदेश स्वच्छ रहेगा और जब प्रदेश स्वच्छ रहेगा तो देश स्वच्छ रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

उस वक्त नगर पालिकायें थीं नगर महापालिकायें नहीं थी।

श्री गोपाल दास यादव–

ठीक है मान्यवर, आज नगर पालिकायें और नगर महापालिकायें ब्यूरोक्रेसी के हाथों में है यह लोग नहीं चाहते हैं कि इन संस्थाओं के चुने हुए चेयरमैनों के अंडर में रहें यह केवल मंत्रियों के अंडर में रहना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की पूरी साजिश है कि इन संस्थाओं के चुनाव न हों। मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में वर्ल्ड बैंक द्वारा 21 करोड़ रुपया दिये जा रहे हैं जिसका 7 साल बाद ब्याज 9 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। जनता का पैसा पानी की तरह वहां बहाया जा रहा है। वहां पेय जल की समस्या के लिये जो पैसा खर्च हो रहा है वह पानी की तरह बहाया जा रहा है वह योजना 5 करोड़ में बन सकती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों सब चाहते हैं कि नगर महापालिकाओं के चुनाव होने चाहिये। जम्हूरियत का जो हमारे यहां खाका खींचा गया है उसका आदर होना चाहिये और यहां पर जो इस समय विधेयक आया है उसका हम विरोध करेंगे चाहे उसके लिये हमें कोई कुर्बानी क्यों न देनी पड़े चाहे विधान सभा चले या न चले इसका हम विरोध करेंगे। माननीय मंत्री जो संशोधन इसमें पेश करने जा रही हैं वह अनैतिक है इसको वह वापस लें और किसी के दबाव में आकर जम्हूरियत का गला न घोटें। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, यहां पर जो नागर स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक रखा गया है, इसके सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में हमारा पूरा विश्वास है और इस सरकार का चुनाव में हमेशा विश्वास रहा है और चुनाव हुए भी हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जितनी भी संस्थायें थीं चाहे नगर पालिका हो या जिला परिषद् हों 1977 में जब यह लोग सत्ता में आये तो सबसे पहला काम इन्होंने यह किया जो-जो चुनी हुई नगर पालिकायें या जिला परिषदें थीं उनको भंग करके उन लोगों के हाथ में दे दिया जिनकी आज यह बुराई कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में देने का श्रेय इन्हीं को है। यह सरकार चुनाव कराने के लिये समय मांग रही है जब किन्हीं परिस्थितियों में चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं तो उसके लिये समय मांगा जाता है हम 5 वर्ष के लिये समय नहीं मांग रहे हैं हर साल एक-एक साल के लिये समय मांगते हैं ताकि उस बीच में चुनाव करा सकें । हम इस बात से सहमत हैं कि चुनाव इनके हों इसीलिये एक साल का समय मांगा है। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो बिधेयक रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो नगर विकास मंत्री जी ने विधेयक पेश किया है इस पर मेरी संवैधानिक आपत्ति है केवल इसी पर नहीं सभी पर मेरी आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने संवैधानिक आपत्ति पर आदेश नहीं दिया है, मैंने चर्चा पर बोलने के लिये कहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपने मुझे बोलने के लिये आदेश दिया है। तो मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने चर्चा के लिये आदेश दिया है, संवैधानिक आपत्ति के लिये आदेश नहीं दिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

ठीक है। मान्यवर, जो यहां विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसके दो हिस्से हैं। एक तो 31 दिसम्बर, 1986 तक जो मियाद थी नगर पालिका, नगर महापालिकाओं और टाउन एरियाज के चुनाव कराने की उसको 31 दिसम्बर, 1987 तक बढ़ाने की बात कही गयी है। दूसरे जो प्रशासकों और मुख्य नगर महापालिका अधिकारियों के अधिकार हैं जिसमें 50 हजार रुपये तक और कार्यकारिणी के अनुमोदन से 2 लाख रुपये तक और दो लाख से ज्यादा तमीखाना स्वीकार करना है तो राज्य सरकार की स्वीकृति से करें । इसके अलावा वाणिज्य भवन की परिभाषा दी गयी है। कर निर्धारण 1 अक्टूबर से और 1 अप्रैल से लागू किया जाता था किन्तु इसकी जगह अगले महीने से लागू किया जायेगा और उसमें कोई गलती कर निर्धारण सूची में होगी तो उसका संशोधन कर दिया जायेगा। इस प्रकार 3-4 हिस्से हैं जो विधेयक के रूप में यहां मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं।

मान्यवर, पहला हिस्सा महत्वपूर्ण है। 31 दिसम्बर, 1986 तक जो मियाद थी वह 31 दिसम्बर, 1987 तक कर दी जाये । मैं समझता हूं कि अब तक जितनी भी मियाद बढ़ाने के प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में पेश किये गये वह अन्तिम नहीं रहे हैं। इसलिये मान्यवर, ऐसा कर दिया जाये कि "जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी तब तक चुनाव न कराने की मियाद जोड़ दो जाये।" क्योंकि 31 दिसम्बर, 1987 हो जायेगा तो फिर एक अध्यादेश जारी होगा फिर प्रस्ताव पेश किया जायेगा कि 31 दिसम्बर, 1988 तक इसमें जोड़ दिया जाये। लगता है कि यह मियाद अभी समाप्त नहीं होगी । इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा है मैं नहीं जानता, जनतंत्र को क्या फायदा है मैं नहीं जानता लेकिन इस समय जो नगर महापालिकाओं की स्थिति है, स्वायत्त सेवी संस्थाओं की हालत है इसको देखा जाये तो 1972 से लेकर 1987 तक जो नगर महापालिकायें या स्वायत्त सेवी संस्थायें चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में नहीं रही हैं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों, चाहे वह जिला अधिकारी, चाहे वह प्रशासक हों, चाहे मुख्य नगर अधिकारी हों, के हाथों में रही हैं उनकी हर एक की वार्षिक रिपोर्ट देखें तो सभी जगह घाटा है वह चाहे बनारस या लखनऊ की नगर महापालिका हो । लेकिन यदि वहां प्रशासक की व्यक्तिगत सम्पत्ति की जांच कराई जाये तो उसमें वृद्धि हुई है वह चाहे लखनऊ या कानपुर या आगरा कहीं के प्रशासक हों उनकी आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत सम्पत्ति में इजाफा हुआ है। यह नतीजा चुनाव न कराने का हुआ है।

पिछले 6 महीनों में पूरे प्रदेश में नगर महापालिकाओं में पानी के दाम बढ़ा दिये गये हैं, जो पहले 90 रुपये न्यूनतम रेट था उसको बढ़ाकर 360 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। मान्यवर, इसी तरह से भवनों के कर निर्धारण का मामला था, बनारस, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, इन सब जगहों पर भवनों का कर जिस तरह से निर्धारित किया गया कि सारे प्रदेश में उससे असंतोष हो गया है। बनारस में आन्दोलन हुआ, इलाहाबाद में आन्दोलन हुआ, लखनऊ में आन्दोलन हुआ और आखिर में सरकार को जनमत के दबाव के आगे झुकना पड़ा और भवनों के कर निर्धारण की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा । अभी तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो कर निर्धारण किया है उसके खिलाफ स्थगन आदेश दिया है और कुछ उनके विरुद्ध फैसला भी दिया है।

इस समय नगर महापालिकाओं में नागरिक सुविधायें नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। पानी मिलता ही नहीं है, एक, दो घंटे भी अगर पीने का पानी मिल जाय तो बहुत है । आप सफाई की हालत देख लें। लखनऊ में ही पार्क रोड पर और दारुलशफा और नगर महापालिका के पास कूड़े का अंबार पिछले 3-4 महीनों से लगा हुआ है। सफाई नाम की कोई चीज नगर महापालिकाओं में नहीं रह गयी है। नगर महापालिकाओं का काम केवल झाड़ू लगाना, बिजली लगाना और चुंगी वसूल करना, भवन कर निर्धारण करना रह गया है। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह गया है। सारे विकास के कार्य, विकास प्राधिकरणों को नगर विकास योजना अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दे दिये गये हैं। नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत कोई विकास का काम नगर महापालिकाओं द्वारा नहीं हो रहा है। नगर महापालिकाओं को चलाने के लिये आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0

अधिकारियों को बैठा दिया गया है।

मान्यवर, मैं चुंगी के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा की थी कि चुंगी को समाप्त कर दिया जायगा लेकिन चुंगी की दरों में वृद्धि कर दी गयी है। इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के 5 महानगरों में व्यापार कम होता चला जा रहा है। जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं चाहे वह साड़ी का व्यापार करते हों या बर्तन का व्यापार करते हों उनके लिये हर नगर महापालिका में चुंगी लगाने की दरें भिन्न-भिन्न हैं। कोई समान आधार नहीं है। कोई कसौटी नहीं है जिसके आधार पर समान तरह की चुंगी लगायी जाय। कहीं पर वजन के आधार पर और कहीं पर मात्रा के आधार पर चुंगी लगायी जा रही है और कहीं बनारस को और कहीं लखनऊ को देखकर चुंगी लगायी जा रही है। यह मनमाने ढंग से काम इसलिये हो रहा है क्योंकि नगर महापालिकाओं में जनता द्वारा चुने हुए लोग नहीं बैठे हैं। जो लोग फैसला करने वाले हैं वह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। अपने व्यक्तिगत आराम और व्यक्तिगत उपभोग के लिये नगर महापालिकाओं की धनराशि का उपयोग हो रहा है और जनता को सुविधा देने के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है।

पानी के दाम बढ़ाये गये, सीवर के टैक्स को बढ़ाया गया और भवनों के कर को बढ़ाया गया पर सफाई के नाम पर और पीने के पानी की सुविधा देने के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। जल संभरण अधिनियम, 1975 को देख लें उसमें कहा गया है कि हर जल संस्थान का दायित्व है कि वह पानी के दाम कितने होंगे, जनता को बतायेगा। लेकिन किसी जल संस्थान ने चाहे वह बनारस का हो या लखनऊ का हो या इलाहाबाद का हो, पानी के जो दाम निर्धारित किये गये हैं उसकी सूचना आज तक जनता को नहीं दी। जल संस्थान के अध्यक्ष प्रशासक हुआ करता है। नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में है कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नगर प्रमुख होगा और जनता द्वारा चुने गये सभा सद उनके सदस्य होंगे। आज इन संस्थाओं में जनता द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि नहीं बैठा है इसलिये आज नगर महापालिकाओं की हालत बिगड़ती चली जा रही है। कहीं पर सफाई का काम नहीं हो रहा है, सीवर व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। इसके बावजूद चुनाव न कराने का फैसला हर साल सरकार बढ़ाती चली जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसी तरह से यह सरकार, मंत्रि-परिषद् सारे के सारे विकास के कामों को, विकास करने वाली संस्थाओं को अफसरों के हाथ में देगी तो जनतांत्रिक मूल्यों को कहीं भी देखना नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा जनतांत्रिक मूल्यों को कत्ल करने की बात दूसरी नहीं हो सकती है कि जो जनतंत्र की सबसे निचली इकाई है, चाहे वह नगर पालिका हो, चाहे वह नगर महापालिका हो, चाहे वह टाउन एरिया हो, और चाहे वह नोटीफाइड एरिया हो, उसका चुनाव न कराया जाय। मान्यवर, खाली विधान सभा का चुनाव कराने मात्र से जनतांत्रिक प्रणाली ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जितनी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, नगरपालिकाएं

हैं, नगर महापालिकाएं हैं, टाउन एरिया हैं, नोटीफाइड एरिया हैं, उनके चुनाव कराए जायं और सरकार इस विधेयक को वापस ले ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, आज मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि बहस इस सदन में कुछ दूसरी जगह ले जाई जा रही है । प्रदेश और देश के सामने बहुत से अहम् मसले होते हैं और उन अहम् मसलों पर ध्यान देने के लिए कभी-कभी बहुत जरूरी चीजों को भी देखना पड़ता है । मान्यवर, बहस इनकी हम तब मान लेते, जब ये यह कह देते कि नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं में जो समस्यायें हैं, उन समस्याओं का समाधान चुनाव होने के बाद हो जायगा । मान्यवर, ऐसा नहीं, आज गिरती हुई नैतिकता यह अहम् मुद्दा है। यह अहम् मुद्दा है कि नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं में उपभोक्ताओं या वहां के नागरिकों के हित का ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। यह जो अहम् मुद्दा है, यह मात्र चुनाव कराने से हल होने वाला नहीं है । कुछ नेता कुर्सी पर बैठ जायेंगे, इससे किसी समस्या का हल होने वाला नहीं है । मैं इस संकल्प का विरोध करते हुए, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं । मेरे यहां अहरौरा, घोरावल, दोनों टाउन एरिया हैं । मान्यवर, शासन से कभी पैसा वहां जाता नहीं, लेकिन कर जरूर लगा दिया जाता है । मैं आपसे यही बात कर रहा था । हमारे पूर्वज पं0 जवाहर लाल नेहरू जी थे । इन्होंने कहा । इनके पूर्वज कौन थे, मैं यह कहना नहीं चाहता । मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं । खड़े इसलिए होते हैं, क्योंकि सिर्फ विरोध करना है । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने तो कुछ बातें कही, बाकी लोग तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि सरकार का विरोध करना है । वे न अपने क्षेत्र की कोई बात कहते हैं और न ही अपने जिले की कोई बात कहते हैं ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, माननीय सदस्य नरेन्द्र देव ने अभी यह कहा कि चुनाव कराने से कुछ नेता लोग कुर्सी पर बैठ जायंगे और इससे किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपना चुनाव क्यों कराना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है, ताकि अधिकारियों द्वारा नगर महापालिकाओं, नगर पालिकाओं, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया आदि जगहों में उनके द्वारा टैक्स निर्धारण किया जा सके, जबकि यह अधिकार लोकतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था के अनुसार चुने हुए प्रतिनिधियों का है । इस प्रकार से स्थानीय निकायों के लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है, इसकी हम लोग सहमति नहीं देंगे ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इलाहाबाद नगर में जो भवन मूल्यांकन किया जा रहा था, उस पर स्टे है । यह बिल यहां पर पेश ही नहीं किया जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । प्रशासक जिसको यह बोर्ड कहते हैं, क्या प्रशासक भवन कर या और तमाम कर लगा सकता है, उसको अधिकार है, तो मा0 उच्च न्यायालय ने इस मामले पर स्टे दे दिया है और इस संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है । यह तय भी है कि चुनी हुई संस्था ही यह टैक्स लगा सकती है और टैक्स बढ़ा सकती है । इस संबंध में चूंकि स्टे है इसलिए यह संशोधन विधेयक यहीं पेश ही नहीं हो सकता है और न चर्चा हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो पेश हो गया ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही अवैधानिक कार्य यहां पर हुआ है कृपया आप इसे तत्काल रुकवा दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस वक्त कुछ नहीं हो सकता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब न्यायालय से स्थगन प्राप्त हो गया है तो क्या उस विधेयक को इस सदन में रखकर पारित कराया जा सकता है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोर्ट का फैसला हमारे सामने नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं उसमें खुद पार्टी हूं ।

मान्यवर, यह बहुत ही अव्यवस्था पूर्ण कार्य हो रहा है ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री मनोहर लाल सदन के फ्लोर पर आ गए और विधेयक की प्रति फाड़ दी)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसे यहां लाने का कोई औचित्य ही नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यहां यह विषय लिया ही नहीं जा सकता है ।

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह स्थगित हो चुका है, उच्च न्यायालय से ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, आपको निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए लेकिन आप तो इनके माया-मोह में फंस गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई माया-मोह नहीं है, सदन तो नियमों से चलता है ।

(श्री गोपाल दास यादव डायस पर चढ़ गए)

(घोर व्यवधान)

आप अपने स्थान पर जायं और वहीं से बोलें तभी जनतन्त्र बचेगा।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, आप चाहे हमें निलम्बित कर दें लेकिन मैं जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा अवश्य करूंगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप हमको निलम्बित कर दें ।

नोट:–[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।]

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री गोपाल दास यादव–

आप मुझे उठवाकर फिकवा दीजिये लेकिन मैं इस तरह जाने वाला नहीं हूं। मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आप मुझे निष्कासित करवा दीजिये ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव तथा अन्य कई माननीय सदस्य नारे लगाने लगे जनतंत्र बचाओ, नगर महापालिका चुनाव कराओ। जनतंत्र बचाओं, नगर महापालिका चुनाव कराओ)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी। 12 बजकर 27 मिनट पर मार्शल ने सूचना दी कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 40 मिनट तक स्थगित करने के आदेश दिये है । 12 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने पुन: सूचना दी कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 50 मिनट तक स्थगित करने के और आदेश दिये है । 12 बजकर 50 मिनट पर पुन: मार्शल ने सूचना दी कि सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया गया है । 1 बजे मार्शल ने पुन: सूचना दी कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 15 मिनट तक के लिए और स्थगित कर दी है 1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुन: सूचना दी कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की है । 1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुन: सूचना दी कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 40 मिनट तक के लिए पुन: स्थगित की है ।

तदुपरान्त 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुयी ।)

चौधरी भगवती प्रसाद–

आपने मुझे अनुमति दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें, मैंने मा0 नेता विरोधी दल को बुला लिया है ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

यह जो काला विधेयक आज विधान सभा के अंतर्गत लाया गया है, इसके सम्बन्ध में मुझे आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि यह जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की व्यवस्था इस विधेयक के अंतर्गत की गयी है, सन् 1972 से लेकर 87 तक दर्जनों बार इस सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द हम चुनाव करा देंगे लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि जो भी घोषणायें की है, उनको पूरा नहीं कर पाये। जिस-जिस मंत्री ने यहां पर घोषणा की वह इस स्थिति में नहीं रहा कि चुनाव का वादा पूरा करने के विषय में कुछ कह सकता । आज 16 वर्ष व्यतीत हो चुके है, आज फिर माननीया मंत्री जी वह विधेयक लायी है, जिसके माध्यम से एक साल की समय वृद्धि चाहती है और समय वृद्धि ही नहीं चाहती है बल्कि यह चाहती है कि बगैर जनता के प्रतिनिधियों के नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के अंतर्गत हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को बढ़ाकर जनता से जबर्दस्ती वसूल किया जाय । इससे बड़ी शर्म की बात वर्तमान सरकार के लिये दूसरी नहीं हो सकती । इनको इस बात पर विचार करना चाहिये था कि अगर इनकी असमर्थता है, निकम्मापन है, मजबूरी है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुनाव नहीं करा सकते हैं तो कम से कम टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये हमारी मान्यता है कि "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन" । इस सरकार को टैक्स बढ़ाने का लगाने का कोई अधिकार नहीं है एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार इलाहाबाद, वाराणसी और बरेली में मुख्यमंत्री फरवरी में गये, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग की, वहां उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि बढ़े हुए टैक्स की वसूलयाबी नहीं जायगी, जिसके अन्तर्गत कि हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, सीवर टैक्स है। अखबारों में छपा टेलीविजन पर भी आया कि बरेली में इलाहाबाद में वाराणसी में वसूलयाबी नहीं होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में वसूली करके उन भागों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं । मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को मजबूर करें कि या तो स्पष्ट घोषणा करें कि जब तक अपने निकम्मेपन के कारण चुनाव नहीं करा पायेंगे तब तक बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लेंगे । इस स्पष्ट घोषणा को करें और अगर आवश्यकता ही हो तो इजाजत दें सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद पुनः इस विधेयक को सदन में रखें, लेकिन अगर आप प्रजातंत्र का गला घोंटना चाहते हैं तो आप जनता से चुनकर आये हैं तो हम भी जनता से चुनकर आये हैं, जनता की भावनाओं को उठाये बगैर नहीं रह सकते । यह हमारा संवैधानिक अधिकार है।

("काला कानून वापस लो", "काला कानून वापस लो" के नारे लगाते हुए श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री मनोहर लाल, श्री विजय सिंह राणा, श्री गोपाल दास यादव आदि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[लोक दल (अ) के सदस्य फ्लोर पर नारे लगाते रहे जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान रहा]

खण्ड 2 से 19 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) धारा 2, 3 और 4 इकतिस दिसम्बर, 1986 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 5 से 18 इक्कीस जनवरी, 1987 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

अध्याय--दो

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986,, आए हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिए जायेंगे

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिए जायेंगे।

अध्याय--तीन

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

4--उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिए जायेंगे।

अध्याय--चार

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका, अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2,

5--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (10) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(10-क) 'वाणिज्यिक भवन' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जो कारखाना न हो और जिसका उपयोग या अध्यासन कोई व्यापार या वाणिज्य या उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई कार्य करने के लिए किया जाय;" — सन् 1959 की धारा 2 में नया खण्ड (10-क) का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ा दी गयी समझी जायगी, अर्थात्— — धारा 3 का संशोधन

"(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी विज्ञप्ति के कारण कोई क्षेत्र उपधारा (1) के अधीन संगठित किसी नगर में सम्मिलित किया जाय, जहां ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन जारी की गयी या बनाई गयी और ऐसे क्षेत्र को उस नगर में सम्मिलित किए जाने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी विज्ञप्तियां, नियम, विनियम, उपविधियां, आदेश, निदेश लागू हो जायेंगे, और इस अधिनियम के अधीन आरोपित समस्त कर, फीस और शुल्क उपर्युक्त क्षेत्र में लगाए और वसूल किए जायेंगे और किए जाते रहेंगे।"

7—मूल अधिनियम की धारा 135 में और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में क्रमशः शब्द और अंक '50,000 रुपए" के स्थान पर शब्द "दो लाख पए" और शब्द और अंक "10,000 रुपए" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपए" रख दिए जायेंगे। — धारा 135 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 136 में— — धारा 136 का संशोधन

(एक) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "50,000 रुपए"' के स्थान पर शब्द "दो लाख रुपए" रख दिए जायेंगे; और

(दो) उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, "पांच लाख रुपए" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपए" रख दिए जायेंगे।

9—मूल अधिनियम की धारा 174, में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्— — धारा 174 का संशोधन

"(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, छात्रावासों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, नियम द्वारा निश्चित की गयी दर से मूल्यापकर्षण व्यय घटाने के पश्चात भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत और उससे संलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अन्यून भाग जिसे एतदर्थ बनाए गए नियम द्वारा निश्चित किया जायगा; और"

10—मूल अधिनियम की धारा 207 में, शब्द "नगर के" स्थान पर शब्द "समय-समय पर नगर या उसके किसी भाग" के रख दिए जायेंगे। — धारा 207 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 208 में, शब्द "उसके किसी कक्ष" के स्थान पर शब्द "उसके किसी भाग" रख दिए जायेंगे। — धारा 208 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 210 में, शब्द "उसके किसी कक्ष" के स्थान पर शब्द "उसके किसी भाग" रख दिए जायेंगे। — धारा 210 का संशोधन

धारा 211 का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 211 में, उपधारा (2) में, शब्द "नगर में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात पड़ने वाली पहली अप्रैल अथवा पहली अक्तूबर, जो भी पहले हो, तक" के स्थान पर शब्द "नगर या उसके भाग में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात आगामी मास के प्रथम दिन तक" रख दिए जायेंगे।

धारा 213 का संशोधन

14---मूल अधिनियम की धारा 213 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग), में, शब्द "मूल्यांकन अथवा निर्धारण छल, भ्रान्त कथन अथवा त्रुटियों के कारण गलत हो गया हो" के स्थान पर शब्द "मूल्यांकन या निर्धारण गलत हो गया है या जिसका मूल्याकंन या निर्धारण् छल, भ्रान्त कथन या त्रुटियों के कारण गलत किया गया है" रख दिए जायेंगे।

अध्याय---पांच

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 141 का संशोधन

15--संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 141 में, उपधारा (1) में, शब्द "नगरपालिका में सभी भवनों या भूमि या दोनों की एक कर-निर्धारण सूची तैयार करायेगा" के स्थान पर शब्द "समय-समय पर नगरपालिका या उसके किसी भाग में सभी भवनों या भूमि या दोनों की एक कर-निर्धारण सूची तैयार कराईयेगा" रख दिए जायेंगे।

धारा 145 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की धारा 145 में, उपधारा (2) में, शब्द "नगरपालिका में उक्त सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात आगामी पहली अप्रैल तक" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका या उसके भाग में उक्त सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात आगामी मास के प्रथम दिन तक" रख दिए जायेंगे।

धारा 147 का संशोधन

17--मूल अधिनियम की धारा 147 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "कपट, मिथ्या व्यपदेशन या त्रुटि के कारण गलत मूल्यांकन या कर-निर्धारण हो गया है" के स्थान पर शब्द "मूल्यांकन या कर-निर्धारण गलत हो गया है या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण कपट, मिथ्या व्यपदेशन या त्रुटि के कारण गलत किया गया है" रख दिए जायेंगे।

अध्याय--छः

वैधीकरण

18--किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ के पूर्व उद्ग्रहीत, भारित या संग्रहीत या उद्ग्रहीत, भारित या संग्रहीत किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कर, फीस या प्रभार, और यथास्थिति, अध्याय चार या अध्याय पांच में निर्दिष्ट मूल अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसे कर, फीस या प्रभार के निर्धारण, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह के सम्बन्ध में ऐसे प्रारम्भ के पूर्व कृत कोई कार्य या कार्यवाही उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जायगी मानो ऐसा निर्धारण पुनर्निर्धारण उद्ग्रहण या संग्रह या कार्य या कार्यवाही उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित, यथास्थिति, अध्याय चार या अध्याय पांच में निर्दिष्ट मूल अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों और उपविधियों के अधीन किया गया या की गयी हो।

(2) सन्देहों के निवारण् के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी व्यक्ति को:—

(क) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित, यथास्थिति, अध्याय चार या अध्याय पांच में निर्दिष्ट मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कर, फीस या प्रभार के किसी निर्धारण, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह पर आपत्ति करने, या

(ख) उसके द्वारा भुगतान की गयी किसी ऐसी धनराशि को, जो उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित, यथास्थिति, अध्याय चार या अध्याय पांच में निर्दिष्ट मूल अधिनियम के अधीन उससे किसी कर, फीस या प्रभार के रूप में उसके द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान की गयी हो, वापस किए जाने का दावा करने से रोकती है।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

19—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1986 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन, चार, पांच और छः में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 19 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और घोर व्यवधान के बीच स्वीकृत हुआ।)

(लोक दल के सदस्यों द्वारा नारा लगाया गयी "सड़ी-गली सरकार को एक धक्का और दो।")

श्रीमती पद्मा सेठ—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जम्हूरियत के हत्यारों को एक धक्का और दो।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 को पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (क्रमा-
गत–

श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री मनोहर लाल, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री शारदा प्रताप तथा श्री विजय सिंह राणा–

सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बराबर निम्न लिखित नारे लगाते रहे :–

"काला विधेयक वापस लो"

"सड़ी-गली सरकार को एक धक्का और दो"

"जम्हूरियत के हत्यारों को एक धक्का और दो"

"काला कानून वापस लो"

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 12 पर श्री जयदीप सिंह बरार का नाम पुकारा गया)

(श्री जयदीप सिंह बरार अपने स्थान पर खड़े हुए परन्तु घोर व्यवधान के कारण कुछ बोल न सके)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं सोमवार तक के लिए।

इसके बाद सदन 1 बजकर 47 मिनट पर 9 मार्च, 1987 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,
7 मार्च, 1987

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 6 मार्च, 1987 की कार्यवाही से

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 324 विधान सभा (655)--1987--813।